[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–5 एच०एल०ए०

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2026

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 9 का संशोधन।

2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप–धारा (2) में,–

(i) खण्ड (घ) में, अन्त में विद्यमान "तथा" शब्द का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) खण्ड (ङ) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(iii) खण्ड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(च) एक वर्ष के दौरान दिए जाने वाले सावधि ऋण पर वृद्धिशील गारंटी की सीमा पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 5% या पूर्ववर्ती वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का.5%, जो भी कम हो, तक सीमित रखेगी।"।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (5) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"(6) जब भी धारा 9 की उप–धारा (2) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से वृद्धिशील गारंटी अधिक हो, तो उच्च लागत वाले ऋण को कम लागत वाले ऋण से बदलने के प्रयोजन के सिवाय, कोई भी नई गारंटी नहीं दी जाएगी ताकि ऐसे ऋण बदलाव के बाद बकाया गारंटी में कोई शुद्ध वृद्धि न हो।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर लाने के उद्देश्य से हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था। इसकी अधिसूचना 6 जुलाई, 2005 को जारी की गई थी।

2. राज्यों द्वारा जारी की जाने वाली गारंटियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, 7 जुलाई, 2022 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन में राज्य सरकार की गारंटियों पर एक कार्य समूह का गठन किया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कुछ राज्यों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल थे। 6 जुलाई, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में आयोजित राज्य वित्त सचिवों (SFS) के 33वें सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्तावित किया कि 'एक वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली वृद्धिशील गारंटी की सीमा पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 5% या पूर्ववर्ती वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 0.5%, जो भी कम हो, निर्धारित की जाए।'

3. तदनुसार, वित्त विभाग ने 04 सितम्बर, 2023 को राज्य सरकार की गारंटियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त की। भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में 18 सितम्बर, 2025 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 35वें सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे कार्य समूह की सिफारिशों के अनुरूप गारंटी सीमा के लिए एक वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार करें।

4. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), हरियाणा द्वारा भी राज्य सरकार की गारंटियों पर सीमा निर्धारित करने के लिए समय–समय पर आगाहा किया जाता रहा है।

5. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आगे संशोधन करने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार गारंटी प्रदान करने हेतु सीमा निर्धारित करना है।

6. राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की सीमा निर्धारित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आगे संशोधन अपेक्षित है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : राजीव प्रसाद,
दिनांक 6 मार्च, 2026. सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 6 मार्च, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

राज्य सरकार ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर लाने के उद्देश्य से हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था। इसकी अधिसूचना 6 जुलाई, 2005 को जारी की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य समूह ने अपनी रिर्पोट में सिफारिशें की है कि राज्य सरकारें सरकारी गारंटियां जारी करने की एक सीमा निर्धारित करें।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों के अनुरूप राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम को समरूप करने के लिए, प्रस्तावित हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 के अधिनियमन का उद्देश्य निम्नलिखित है :

(क) "9.(2)(च) एक वर्ष के दौरान दिये जाने वाले सावधि ऋण पर वृद्धिशील गारंटी की सीमा पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 5% या पूर्ववर्ती वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5%, जो भी कम हो, तक सीमित रखेगी।"

(ख) "11.(6) जब भी धारा 9 की उप–धारा (2) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से वृद्धिशील गारंटी अधिक हो, तो उच्च लागत वाले ऋण को कम लागत वाले ऋण से बदलने के प्रयोजन के सिवाय कोई भी नई गारंटी नहीं दी जाएगी ताकि ऐसे ऋण बदलाव के बाद बकाया गारंटी में कोई शुद्ध वृद्धि न हो।"

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार, गारंटी प्रदान करने हेतु सीमा निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन अपेक्षित है।

अनुबन्ध

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 से उद्धरण

धारा 9. (1) राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकती है जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार–

(क) केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित जी. एस. डी. पी. के प्रतिशतता के अनुसार राजस्व घाटा पूरा करेगी;

(ख) केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित जी. एस. डी. पी. की प्रतिशतता के अनुसार राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी;

(ग) केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित जी. एस. डी. पी. की प्रतिशतता के अनुसार बकाया ऋण सुनिशिचत करेगी ;

परन्तु राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, आंतरिक अशांति या प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा या ऐसे अन्य अपवादिक आधार, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, से उत्पन्न होने वाली राज्य सरकार की अप्रत्याशित वित्तीय मांग के आधार पर भारत सरकार उत्पन्न द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार के संबंध में विवरण, लक्ष्यों से ऐसी घाटा राशि के अधिक होने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा ;"।

(घ) राज्य की अर्थ–व्यवस्था तथा संबंधित राजकोषीय योजना के लिए प्रत्याशा देते हुए वार्षिक विवरण प्रकट करेगी ;

तथा

(ङ) सरकार, पब्लिक सेक्टर तथा सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा उनके संबंधित वेतनों के ब्यौरे देते हुए बजट के साथ विशेष रिपोर्ट प्रकट करेगी।"।

12479–H.V.S.–H.G.P., Pkl.